

# कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)


क्रमांक: २५२

दिनांक: 18/05/20

- कार्यालय आदेश -

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक: सामान्य/XV/54/2020/3325 दिनांक 30.05.2020 की अनुपालना एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पुरवा चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने हेतु पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार कॉलम संख्या 02 में वर्णित थानों/आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने तथा धारा 52 ए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों अधिनियम, 1985 के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही करने हेतु कॉलम संख्या 03 में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करती हूँ:--

क्र.सं.	पुलिस थाना/आरक्षी केन्द्र का नाम	धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने एवं धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही हेतु अधिकृत न्यायालय
01	पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)
02	पुलिस थाना गण्ड	
03	पुलिस थाना महिला, झुंझुनूं	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (राज.)
04	पुलिस थाना पण्डावा	
05	पुलिस थाना रुदर, झुंझुनूं	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)
06	पुलिस थाना धनूरी	
07	पुलिस थाना बिसाउ	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)
08	पुलिस थाना नलसीसर	
09	पुलिस थाना चिड़ावा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी
10	पुलिस थाना हुलताना	
11	पुलिस थाना पिलानी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा
12	पुलिस थाना पण्डेला	
13	पुलिस थाना सूरजगढ़	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना
14	पुलिस थाना खेतड़ी	
15	पुलिस थाना सैघाना	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी (राज.)
16	पुलिस थाना खेतड़ी नगर	
17	पुलिस थाना ब्रबाई	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
18	पुलिस थाना मेहाड़ा	
19	पुलिस थाना पचेरीकलां	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झुंझुनूं

21	पुलिस थाना गुडगाँव	आंतरिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
22	पुलिस थाना उदयपुरवाटी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
23	पुलिस थाना नवलगढ़	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़
24	पुलिस थाना गोटड़ा	
25	पुलिस थाना भुकुन्दगढ़	

नोट:

- कॉलम संख्या 03 में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित होने अथवा पद रिक्त होने पर उनके अधिकृत न्यायालय के पश्चातवर्ती लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। यदि कॉलम संख्या 02 में अंकित थाने की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उस पश्चातवर्ती लिंक न्यायालय को है तो उक्त सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय के पश्चातवर्ती न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
- उक्त व्यवस्था के उपरान्त भी कोई विशेष असुविधा या कठिनाई आने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को प्रार्थना की जाकर विशेष समुचित आदेश प्राप्त किए जा सकेंगे।
- धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं मृत्युकालीन बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) लेखबद्ध करने तथा धारा 52 ए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों अधिनियम, 1985 के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही करने के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त किया जाता है तथा यह आदेश दिनांक 18.03.2024 से लागू किया जाता है, जो कि स्थाई आदेश है तथा जब तक अन्य विशेष आदेश प्रसारित ना हो यह आदेश नियमित रूप से प्रभावशील होगा।

— 54 —  
(पुरवा चतुर्वेदी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक: 377

दिनांक: 18/03/24

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं (समस्त पुलिस उपाधीक्षकों एवं थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा/सूरजगढ़
- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
- अभिभाषक संघ, झुंझुनूं/खेतड़ी/पिलानी/उदयपुरवाटी/बुहाना/चिड़ावा/सूरजगढ़/नवलगढ़
- सहायक निदेशक अभियोजन, झुंझुनूं
- सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

— 54 —  
(पुरवा चतुर्वेदी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)